AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

26.04.2024 को आरक्षित

26.06.2024 को घोषित

2022 क WPS नंबर 4881

विजय कुमार खर्रा आ. स्व. श्री नाथूराम खर्रा उम्र 56 वर्ष, सहायक ग्रेड–2, कार्यापालक अभियंता कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पत्थलगांव संभाग, जिला–जशपुर, छत्तीसगढ़

.....याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ राज्य द्वारा सचिव,उर्जा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नावा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का एक उद्यम), इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, डगनिया, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3. जनरल मैनेजर छत्तीसगढ़ी राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दगानिया, रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़

4. उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, डगनिया, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

5. अधीक्षण अभियंता (परिक्षेत्र) सी.एस.पी.डी.सी.एल., बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

6. कार्यपालन अभियंता सी.एस.पी.डी.सी.एल., पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़

.....**उत्तरदाताओं**

2022 का WPS नंबर 5680

मोहन मोहदीकर आ. स्व. श्री नारायण राव मोहदीकर उम्र 68 वर्ष, निवासी महामाया विहार, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट– बिलासपुर छत्तीसगढ़.

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड डंगनिया अपने महाप्रबंधक के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर, जिला– रायपुर,छत्तीसगढ़।
2. उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

.....उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अनिल एस. पांडे और श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता
राज्य के लिए : सुश्री उपासना मेहता, उप सरकारी वकील
सीएसपीडीसीएल के लिए : श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री विनोद देशमुख और सुश्री सलोनी वर्मा

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, सीएवी आदेश

1. क्योकि दोनों रिट याचिका में विधि और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए उनकी सुनवाई समान रूप से की जाती है और उनका निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जाता है। इससे पहले इस न्यायालय ने 24.08.2022 और 05.09.2022 के आदेश के तहत दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी हैं और याचिकाकर्ताओं के पास छत्तीसगढ़ औद्योगिक अधिनियम, 1960 (संक्षेप में '1960 का अधिनियम') के तहत गठित श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाने का उपाय है। इन आदेशों से व्यथित होकर प्रतिवादियों ने रिट अपील संख्या 81/2023 और रिट अपील संख्या 155/2023 को प्रस्तुत किया है। उक्त रिट अपीलों को माननीय खंडपीठ ने प्रतिवादियों – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभिलेखों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता–मोहन मोहदिकर डब्ल्यूपीएस संख्या 5680/2022 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यालय सहायक ग्रेड–I/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उसे 15.10.2015 को इस आधार पर आरोपित किया गया था कि उसके द्वारा ठेकेदारों को कार्य आदेश जारी किए गए लेकिन उनके द्वारा काम नहीं किया गया और निरीक्षण के बिना उन्हें भुगतान कर दिया गया, जिससे कंपनी को 4,09,36,163/– रुपये का नुकसान हुआ और विभागीय जांच के बाद उन्हें बड़ी सजा दी गई और उनकी पेंशन को स्थायी रूप से रोक दिया गया और 30.07.2021 के आदेश के तहत 40% की दर से रोक दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)–3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी, रायपुर के समक्ष अपील की, जिन्होंने 03.06.2022 के आदेश के तहत उक्त अपील को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता– विजय कुमार खर्रा डब्ल्यूपीएस संख्या 4881/2022 में कार्यपालक अभियंता, शक्ति संभाग के कार्यालय में सहायक ग्रेड–II के पद पर पदस्थ थे। उन्हें इस आधार पर आरोपित किया गया था कि एक ही बिल के लिए बिना निरीक्षण और बिना कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के दो अलग–अलग ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जिससे कंपनी को 38,68,940/– रुपये का नुकसान हुआ। उन्हें 27–9–2014 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। आरोप पत्र के अनुसरण में जांच की गई और याचिकाकर्ता पर 29–6–2021 का दंड आदेश लगाया गया, जिसके द्वारा उन्हें सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–3 के पद पर वापस कर दिया गया और सहायक ग्रेड–III के मीट्रिक एस–5 में चार गुना कम (समतुल्य कम) वेतन निर्धारित किया गया और आगे निर्देश दिया गया कि निलंबन अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए ड्यूटी अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने निदेशक मंडल के समक्ष अपील दायर की जिसे दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इससे पहले, रिट याचिका संख्या 4881/2022 को दिनांक 24.08.2022 के आदेश द्वारा निपटाया गया था और रिट याचिका संख्या 5680/2022 को दिनांक 05.09.2022 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 31(3) के तहत एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया था। आदेशों के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां कार्यवाही शुरू की गई है और सुरक्षात्मक आदेश याचिकाकर्ताओं के पक्ष पारित हुआ। उक्त आदेशों को सीएसपीडीसीएल द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, माननीय खंडपीठ ne दिनांक 24.08.2022 और 05.09.2022 के आदेश को प्रतिवादियों को नोटिस करने के बाद मामलों को नए सिरे से विचार के लिए वापस इस न्यायालय को भेज दिया और माननीय खंडपीठ द्वारा 08 माह में याचिका का निराकरण करने

को निर्देशित किया। अपने आदेश दिनांक 31.08.2023 द्वारा सीएसपीडीसीएल को नोटिस जारी किया और नोटिस के अनुसरण में सीएसपीडीसीएल ने दोनों मामलों में अपना जवाब दाखिल किया ।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी खरीद, अनुबंध या किए गए कार्यों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे लोग सामान्य कार्य के लिए न्यासित थे, इसलिए, उन्हें कंपनी को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित निरीक्षण और संतुष्टि के बाद उनके अनुमोदन पर किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने केवल अपनी ओर से अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इसके अलावा, विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना की गई है, इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ–साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह न्यायालय मामले के गुण–दोष की जांच करने से पहले रिट याचिका की प्रचलनशीलता के मुद्दे पर विचार कर रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 2(13) में परिभाषित छत्तीसगढ शासन के कर्मचारी है और उत्तरवादी धारा 2(19) के अनुसार उद्योग हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया विवाद धारा 2(18) के अनुसार औद्योगिक मामला है, इसलिए दोनों पक्षों के वकीलों को रिट याचिकाओं की प्रचलनशीलता के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि WPS संख्या 5680/2022 में याचिकाकर्ता सहायक ग्रेड–I के रूप में काम कर रहा था और WPS संख्या 4881/2022 में याचिकाकर्ता सहायक ग्रेड–II के रूप में काम कर रहा था, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य लिपिकीय प्रकृति की है और वे 1960 के अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार कर्मचारी हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि

चूंकि उन्हें प्रतिवादियों द्वारा दंडित किया गया है जो एक उद्योग है, इसलिए यह एक औद्योगिक मामला है जैसा कि 1960 के अधिनियम की धारा 2(18) में परिभाषित किया गया। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा पहले के आदेश पारित करने के बाद उन्होंने श्रम न्यायालय का रुख किया है जहां कार्यवाही लंबित है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अब चूंकि मामले श्रम न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और उत्तरवादियो को प्रचलनशीलता के आधार पर रिट याचिका के निपटारे पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे आगे प्रस्तुत करते है कि उन्हें श्रम न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है लेकिन बाद की कार्यवाही माननीय खंडपीठ द्वारा रिट के निपटारे तक रोक दी गई है। याचिकाओं के याचिका का निराकरण किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, यह प्रश्न की क्या कथित व्यक्ति कर्मचारी है अथवा नहीं ऐसी प्रकृति का प्रश्न है जिसका निराकरण उसके द्वारा निष्पादित कार्य की प्रकृति, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और अन्य प्रासंगिक सामग्री के आधार पर किया जा सकता है जिसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में बनाकर विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। त्रिवेणी इंजिनियरिंग **एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम जसवंत सिंह ((2010) 9 एससीसी 151)** और **चंद्रशेखर चिंतामन विद्या बनाम नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज इटिड (2010 एससीसी ऑनलाइन बॉम 287)** के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन किया और विद्वान श्रम न्यायालय को मामलों का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सीएसपीडीसीएल के लिए नामांकित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के साथ–साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होती हैं। तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी) के सक्षम प्राधिकारी ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1956 की धारा 79 (सी) के प्रावधानों के अनुसार 23.03.1970 को अधिसूचना जारी की है,

जिसके द्वारा कुछ संशोधनों को अपनाया गया है जिसमें 1966 के उक्त नियमों में शब्दों "राज्यपाल, राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारी" को मंडल, मंडल सेवाएं, मंडल सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए, विद्वान श्रम न्यायालय के पास इस पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था जो कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है और सीएसपीडीसीएल द्वारा अपनाए गए 1966 के नियमों के अनुसार है, ऐसे में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विकृति या दुर्भावना नहीं है। अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए वह **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम बिस्वनाथ भट्टाचार्य ((2022) 13 एससीसी 329)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करेंगे और रिट याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से, पक्षकारों के समक्ष, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु यह बिन्दु उभर कर आया है कि क्या छत्तीसगढ़ रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम प्रतिवादी कंपनी के कर्मचारियों पर लागू होता है, यद्यपि प्रतिवादी कंपनी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम को अपना लिया है?

11. इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे की जांच करने के लिए, इस न्यायालय के लिए स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 और छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के कुछ प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार हैं:–

मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 की

धारा 2 अधिनियम की प्रयोज्यता प्रदान करती है जो निम्नानुसार है:–

अधिनियम का लागू होना.– (1) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा:–

(क) प्रत्येक उपक्रम जिसमें कर्मचारियों की संख्या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी दिन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन या उसके पश्चात् किसी दिन बीस से अधिक थी या है और

(ख) उपक्रमों का ऐसा अन्य वर्ग या वर्ग, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे : [परन्तु यह केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन के प्राधिकार के अधीन या उसके अधीन चलाए जा रहे उपक्रम या किसी खान या तेल क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।] [मध्य प्रदेश अधिनियम सं. 5, 1962 द्वारा अंतःस्थापित।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस अधिनियम की कोई बात किसी उपक्रम के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन पर मूल और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम या कोई अन्य नियम या विनियम जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) द्वारा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम किसी उपक्रम के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन पर निम्नलिखित नियम या विनियम लागू होते हैं –

1. नागरिक रक्षा सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम;
2. भारतीय रेलवे स्थापना संहिता; और

3. कोई अन्य नियम या विनियम जो औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का XX) की धारा 13–बी के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.–(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ तक है

(3) यह धारा और धारा 112 तत्काल प्रवृत्त होंगी और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के शेष सभी या किन्हीं उपबंधों को निम्नलिखित के संबंध में प्रवृत्त कर सकेगी–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) कोई भी या सभी उद्योग; या

(ख) किसी उद्योग में उपक्रम, जिसमें अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् किसी दिन, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की संख्या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट की जाए।

[(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसे क्षेत्र में और ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उद्योग पर लागू होना बंद हो जाएंगे।]

2(13) "कर्मचारी" से किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर कोई कुशल, अकुशल, मैनुअल पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य

करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्ट हों या निहित, और इसमें शामिल हैं–

1. किसी ठेकेदार द्वारा किसी नियोजक के साथ अनुबंध के निष्पादन में उसके लिए कोई कार्य करने के लिए खंड 14 के उपखंड (ई) के अर्थ में नियोजित व्यक्ति; तथा

2. उप–खण्ड (v) के अधीन प्रशिक्षु से भिन्न कोई प्रशिक्षु; किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता–

1. जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLVI), या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLV), या नौसेना अनुशासन अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हैं; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. जो पुलिस सेवा में या किसी जेल में अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है; या

3. जो मुख्यतः प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत है; या ((iv) जो पर्यवेक्षक क्षमता में कार्यरत होते हुए प्रति माह एक हजार छह सौ रुपये से अधिक मजदूरी प्राप्त करता है, या

12 (v) जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत कार्यरत शिल्पकार या प्रशिक्षु है, इस शर्त पर कि ऐसा शिल्पकार या प्रशिक्षु इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी नहीं समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण – कोई कर्मचारी जिसे रोजगार से बर्खास्त, सेवामुक्त या छंटनी कर दी गई है या जिसका रोजगार अन्यथा समाप्त कर दिया गया है, ऐसी बर्खास्तगी, सेवामुक्ति,

छंटनी या समाप्ति से संबंधित मामलों के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर्मचारी समझा जाएगा।

(17) "औद्योगिक विवाद" से तात्पर्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच या नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच या कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद या मतभेद से है और जो किसी औद्योगिक मामले से जुड़ा हुआ है

(18) "औद्योगिक मामले से तात्पर्य नियोक्ता या कर्मचारी के रोजगार, कार्य, मजदूरी, कार्य के घंटे, विशेषाधिकार, अधिकार या कर्तव्य या रोजगार के तरीके, शर्तों या रोजगार देने से इंकार से संबंधित कोई भी मामला है और इसमें शामिल हैं–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले–

(क) नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध;

(ख) किसी व्यक्ति की बर्खास्तगी या गैर–रोजगार;

(ग) किसी कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग के कार्यों का सीमांकन;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी पंजीकृत करार या प्रस्तुतिकरण, निपटान या पंचाट के संबंध में कोई अधिकार या दावा; तथा

(ii) ऐसे किसी मामले के संबंध में क्या उचित और सही है, इससे संबंधित सभी प्रश्न, जो तत्काल संबंधित व्यक्ति और समग्र रूप से समुदाय के हित को ध्यान में रखते हों;

(19) "उद्योग" से तात्पर्य है–

(क) (नियोक्ता;) का कोई व्यवसाय, व्यापार, विनिर्माण, उपक्रम या व्यवसाय

(ख) कर्मचारियों का कोई व्यवसाय, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या पेशा; और इसमें शामिल हैं–

(i) कृषि और कृषि कार्य;

(ii) किसी उद्योग या उद्योगों के समूह की कोई शाखा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उद्योग घोषित करे;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, 1960 के अधिनियम की धारा 1 के अनुसार राज्य सरकार ने शक्ति का प्रयोग करते हुए 31.12.1960 को अधिसूचना जारी कर विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उद्योग को उद्योगों की सूची में शामिल किया और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी पर लागू किया जिसके अनुसार वह एक कंपनी है । उत्तरवादी का उद्योग अनुसुचि के अनुच्छेद 3 में अधिसूचित है और याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 2(13) में परिभाषित कर्मचारी है। कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए 1960 के अधिनियम के तहत पूरी व्यवस्था निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 61 श्रम न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है और धारा 62 विवाद की तारीख से दो वर्ष के भीतर धारा 61 के कंडिका क उपधारा 1 के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले विवाद के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की शक्ति प्रदान करती है। दलीलों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दंड को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।

14. उत्तरवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं हैं क्योंकि वे 1960 के अधिनियम की धारा 2(13) के तहत कर्मचारियों के दायरे में नहीं आते हैं।

यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के साथ–साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होती हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 1961 के अधिनियम द्वारा शासित नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन कि सीसीए(सीसीएस) नियमों को अपनाते समय सीसीए(सीसीएस) नियमों के अनुसार संशोधन किए गए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तत्कालीन एमपीईबी ने 19.10.1963 को अधिसूचना जारी करते समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों पर स्थायी आदेशों को लागू करने के संबंध में उक्त अधिसूचना प्रतिवादी कंपनी द्वारा 20.09.2001 को अपनाई गई है, इसलिए स्थायी आदेश अधिनियम लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस धारा के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि 1961 के अधिनियम के आवेदन से छूट दी जानी है तो राज्य सरकार को छूट अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क कि पूर्ववर्ती एमपीईबी ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश लागू करते हुए अधिसूचना जारी की थी, नियमित स्थापना के कर्मचारियों के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 लागू नहीं होता है, गलत है और खारिज किए जाने योग्य है। धारा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि राज्य उद्योग को स्थायी आदेश अधिनियम के आवेदन से बाहर रखने का अनुरोध करता है, तो उसे अधिसूचना जारी करनी चाहिए और निस्संदेह राज्य सरकार द्वारा इस आशय की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम प्रतिवादियों पर लागू होता है। यह मुद्दा अब विचारणीय नहीं है क्योंकि यह **मप्र विद्युत कर्मचारी संघ बनाम मप्र विद्युत मंडल ((2004) 9 एससीसी 755)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:–

29. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के पास औद्योगिक संबंधों और श्रम विवादों के समाधान को विनियमित करने वाले कानून को लागू करने की विशेष शक्ति है, जैसा कि इस न्यायालय ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एम्प्लाइज यूनियन और अन्य बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन और अन्य [(1987) 4 एससीसी 691] में माना है, यह धारा 79 (सी) के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विनियमों पर अभिभावी होगा।

30. इससे हम 1961 के अधिनियम के प्रभाव के संबंध में प्रश्न पर आते हैं। धारा 2 के अनुसार, 1961 का अधिनियम प्रत्येक उपक्रम पर लागू होता है, जिसमें पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन या उक्त अधिनियम के लागू होने के दिन या उसके बाद किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या बीस से अधिक थी या है और उपक्रमों की ऐसी अन्य श्रेणी या श्रेणियाँ जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। बोर्ड का उपक्रम निर्विवाद रूप से 1961 में अस्तित्व में था। इसलिए, 1961 के अधिनियम के प्रावधान बोर्ड के उपक्रमों पर लागू होंगे। 1961 के अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (2) अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए एक अपवाद बनाती है, जिसमें कहा गया है कि इसमें कुछ भी उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन पर मौलिक और पूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम या कोई अन्य नियम या विनियम जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किए जा सकते हैं, लागू होंगे। 1961 अधिनियम के संचालन को बाहर करने के लिए, यह आवश्यक है कि 1961 अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार एक उपयुक्त अधिसूचना जारी की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. मंडल ने मौलिक और पूरक नियम अपनाए जो अपने उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नहीं थे। उन्हें बोर्ड ने अपनाया। मौलिक और पूरक नियमों के

प्रावधान, जहाँ तक लागू किए गए थे, धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के कर्मचारियों की शर्तों और नियमों को नियंत्रित करने वाले नियम माने जाएँगे। इसलिए, 1966 अधिनियम की धारा 2(2) के तहत अपेक्षित अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जानी थी।

32. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार ने 1961 के अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और इस मामले को देखते हुए इसके प्रावधान राज्य के कर्मचारियों पर लागू होंगे। 1961 का अधिनियम एक विशेष धारा 79 (सी) सामान्य प्रावधान है। इस प्रकार, इस मामले में कहावत 'generalia
specialibus non derogant' लागू होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम एस.के.यादव ((2009) 2 एससीसी 50)** के मामले में में निम्नानुसार निर्णय दिया गया:–

10. सेवा की शर्तें एवं नियम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाए गए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (सामान्य सेवा) विनियम, 1952 के अंतर्गत शासित होंगी। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया स्थायी आदेश लागू है।

11. उत्तरवादी ने अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो निम्नानुसार है।

"31. परिवर्तन की सूचना (1) *****(2) ******(3) कर्मचारियों का प्रतिनिधि या कोई कर्मचारी जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट औद्योगिक मामले या ऐसे परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में परिवर्तन की इच्छा

रखता है, वह श्रम न्यायालय में ऐसी रीति से आवेदन कर सकता है, जैसी विहित की जाए।"

12. श्रम न्यायालय ऐसी शिकायत पर निर्णय देते समय विवाद से संबंधित प्रश्न का अधिनियम की धारा 61(1) (ए)(ए) और 61(2) के अनुसार निर्धारण करने का हकदार है, जो निम्नानुसार है।

"61. श्रम न्यायालय की शक्तियाँ (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, श्रम न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी– (क) निम्नलिखित का निर्णय करनाः–

(क) विवाद जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन किया गया होः–

******(2) उपधारा (1) के कंडिका (क) और (खा) के तहत विवाद का फैसला करने के प्रयोजनों के लिए श्रम न्यायालय के लिए विवाद से संबंधित तथ्य के प्रश्नों को निर्धारित करना वैध होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्वान श्रम न्यायालय ने स्थायी आदेश के पैराग्राफ 8 के खंड (बी) को लागू किया, जो इस प्रकार है:

"(ख) कोई कर्मचारी जो छुट्टी लेना चाहता है, उसे प्रबंधक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रबंधक या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सप्ताह में दो दिन उस पर आदेश पारित करे; बशर्ते कि यदि मांगी गई छुट्टी अत्यावश्यक प्रकृति की है, अर्थात आवेदन की तिथि से या उसके तीन दिन के भीतर शुरू होती है, तो छुट्टी देने या न देने के आदेश बिना देरी के सूचित किए जाएंगे।"

हम उक्त कंडिका के खंड (द) पर भी गौर कर सकते हैं, जो निम्नानुसार है:

"(द) कोई कर्मचारी, मूल रूप से स्वीकृत या बाद में बढ़ाई गई छुट्टी की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका अपने पद पर धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा और उसे अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति की तिथि से सेवाएं छोड़ देने वाला माना जाएगा, जब तक कि वह स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के दस दिनों के भीतर वापस नहीं आ जाता है और या प्रबंधक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संतुष्टिपूर्वक यह स्पष्ट नहीं कर देता है कि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर तुरंत काम पर वापस नहीं आ सकता है। कोई कर्मचारी जो अपना धारणाधिकार खो देता है, लेकिन अपनी छुट्टी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कर्तव्य के लिए उपस्थित होता है, उसे यदि वह चाहे तो बदली के रूप में रखा जाएगा और उसका नाम बदली रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य बातों के साथ–साथ, उपर्युक्त आधार पर तथा इस आधार पर कि सामान्यतः केवल अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है, यह माना गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं कहे जा सकते।

14. मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के संदर्भ में तैयार स्थायी आदेश में एक क़ानून की ताकत है। स्थायी आदेश के कंडिका 12 में किसी कर्मचारी की ओर से कदाचार के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। कंडिका 12 के खंड (4) में प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को तब तक कोई दंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसमें निर्दिष्ट तरीके से की गई जांच में कदाचार का दोषी साबित न हो जाए। स्थायी आदेश के कंडिका 12 के खंड (3) में उन दंडों का प्रावधान किया गया है जो किसी दोषी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। श्रम न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी पर लगाया गया दंड स्थायी आदेश में निर्धारित नहीं किया गया था।

17. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अधीक्षण **अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. बनाम देव प्रकाश श्रीवास एवं अन्य ((1999) आईआईएलएलजे 663 एमपी)** के मामले में कंडिका 4 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

4. मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 1961 का अधिनियम) प्रख्यापित किया।

1961 के अधिनियम की धारा 2(2) अधिनियम के अनुप्रयोग को निर्धारित करती है कि अधिनियम किस पर लागू होगा और किस पर नहीं। 1961 के अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अधिनियम का अनुप्रयोग––
(1) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा।

(क) प्रत्येक उपक्रम जिसमें कर्मचारियों की संख्या पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान किसी दिन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन या उसके पश्चात् किसी दिन बीस से अधिक थी या है तथा

(ख) उपक्रमों का ऐसा अन्य वर्ग या वर्ग जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे

परंतु यह केन्द्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के प्राधिकार के अधीन चलाए जा रहे उपक्रम या किसी खान या तेल क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम की कोई बात किसी उपक्रम के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन पर मूल और अनुपूरक नियम लागू होते हैं।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम या कोई अन्य नियम या विनियम जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाएं।

आधिकारिक राजपत्र लागू धारा 2 की उपधारा (2) अधिनियम की धारा 2(1) का अपवाद है और इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम की कोई भी बात किसी उपक्रम के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन पर मूल और पूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा विनियम लागू होते हैं या कोई अन्य नियम या विनियम जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किए जा सकते हैं, लागू होते हैं। धारा 2 की उपधारा (2) के आधार पर अपवाद निकाला गया है कि जिस उपक्रम पर उपरोक्त नियम उनकी सेवा शर्तों के लिए लागू होते हैं तो इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरा भाग आगे यह निर्धारित करता है कि यदि सरकार चाहती है कि इस अधिनियम का प्रावधान सरकार के अन्य विभाग या उपक्रम पर लागू नहीं होना चाहिए, तो वह आवश्यक अधिसूचना जारी करके आगे अधिसूचित कर सकती है। जब तक राज्य द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तब तक केवल वे कर्मचारी जिन पर उपरोक्त नियम लागू होते हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त होंगे। अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थायी आदेश भी बनाए गए। इन्हें एम.पी. standing order (1963 के नियम) के नाम से जाना जाता है। नियम 7 में स्थायी आदेश बनाने की बात कही गई है। नियम 7 इस प्रकार है: औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1963 (के लिए)

7. स्थायी आदेशों का निर्माण. स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अधीन, वे सभी उपक्रम जिन पर अधिनियम लागू होता है, वे अनुलग्नक में निर्धारित होंगे।"

1963 के इन नियमों से संलग्न अनुलग्नक को राज्य के सभी उपक्रमों के लिए मानक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थायी आदेश के रूप में जाना जाता है; मानक स्थायी आदेश का खंड 2 हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक आदेश इस प्रकार है:

"2. कर्मचारियों का वर्गीकरण कर्मचारियों को (i) स्थायी (ii) स्थायी मौसमी (iii) परिवीक्षाधीन (iv) बैडली (v) प्रशिक्षु और (vi) अस्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(i) 'स्थायी कर्मचारी' वह है जिसने एक या एक से अधिक पदों पर स्पष्ट रिक्ति पर छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, चाहे वह परिवीक्षाधीन हो या अन्यथा, या वह व्यक्ति जिसका नाम मस्टर रोल में दर्ज है और जिसे स्थायी कर्मचारी का टिकट दिया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) 'स्थायी मौसमी कर्मचारी' वह है जिसने किसी स्पष्ट रिक्ति में 2/3 अवधि या एक सीजन या महीनों के बराबर सेवा पूरी कर ली है और इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए स्थायी कर्मचारी माना जाएगा:

(iii) 'परिवीक्षाधीन' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसे स्पष्ट रिक्ति को भरने के लिए अनंतिम रूप से नियोजित किया गया है और जिसने कुल मिलाकर छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी नहीं की है;

(iv) 'बदली' कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो किसी स्थायी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन या स्थायी मौसमी कर्मचारी के पद पर जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित है।

(v) 'प्रशिक्षु' का अर्थ शिक्षार्थी है: बशर्ते कि किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसने एक वर्ष की कुल अवधि के लिए प्रशिक्षण लिया है, आगे यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कानून या किसी पुरस्कार या कर्मचारियों

के प्रतिनिधि के साथ समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है तो प्रशिक्षुता की लंबी अवधि की आवश्यकता होगी

(vi) "अस्थायी कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसे ऐसे कार्य के लिए नियोजित किया गया है जो अनिवार्यतः अस्थायी प्रकृति का है, या जो स्थायी प्रकृति के कार्य में अस्थायी वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में अस्थायी रूप से नियोजित है परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी से छह माह से अधिक समय तक लगातार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो वह उपर्युक्त खण्ड (i) के अर्थ में स्थायी कर्मचारी समझा जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान विभाग राज्य का एक उपक्रम है, जैसा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 2(33) के तहत परिभाषा में परिभाषित किया गया है। 'उपक्रम' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है ।

"उपक्रम" का तात्पर्य किसी भी उद्योग से है।

1960 के अधिनियम की धारा 2(19) में 'उद्योग' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:"उद्योग" से तात्पर्य है (क) नियोक्ताओं का कोई व्यवसाय, व्यापार, विनिर्माण, उपक्रम या व्यवसाय(ख) कर्मचारियों का कोई व्यवसाय, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या पेशा; और इसमें शामिल हैं

(i) कृषि एवं कृषि कार्य

(ii) किसी उद्योग या उद्योगों के समूह की कोई शाखा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उद्योग घोषित करे।

इन प्रावधानों और बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा (1978–1–एलएलजे–349) (एससी) के मामले में निर्धारित अनुपात को पढ़ने पर इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान विभाग राज्य का उपक्रम है। इसलिए, राज्य के सभी उपक्रमों के लिए मानक स्थायी आदेशों का खंड 2 लागू होता है और उक्त

खंड के अनुसार, कर्मचारियों को स्थायी, स्थायी मौसमी, परिवीक्षाधीन, बैडली, प्रशिक्षु और अस्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। खंड 2(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि स्थायी कर्मचारी वह है जिसने एक या अधिक पदों पर स्पष्ट रिक्ति में छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी की है, चाहे वह परिवीक्षाधीन हो या अन्यथा या वह व्यक्ति जिसका नाम मस्टर रोल में दर्ज किया गया हो और जिसे स्थायी कर्मचारी का टिकट दिया गया हो। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति इस स्थायी आदेश के तहत स्थायी कर्मचारी के रूप में घोषित होने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी की हो। इसलिए, एक शर्त यह है कि कोई स्पष्ट रिक्ति हो, दूसरी शर्त यह है कि उसे स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध कम से कम छह महीने तक काम करना चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि उसकी सेवा संतोषजनक होनी चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि कोई व्यक्ति 10–15 साल तक काम कर सकता है और अगर कोई स्थायी रिक्ति उपलब्ध नहीं है और उसका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है, तो उसे स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. नियमों की योजना में, यदि हम 1961 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) पर वापस जाते हैं, तो प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान विभाग धारा 2 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित किसी सेवा नियम द्वारा शासित है या नहीं। राज्य के विद्वान वकील यह इंगित करने में सक्षम नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) में उल्लिखित नियम वर्तमान उपक्रम को शासित करते हैं या नहीं और न ही इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी छूट अधिसूचना को हमारे संज्ञान में ला पाए हैं। चूंकि वर्तमान विभाग को 1961 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसार अधिसूचना जारी करके छूट नहीं दी गई है, इसलिए 1961 का अधिनियम, 1963 के नियमों के साथ पढ़ा जाए, मानक स्थायी आदेश विभाग को शासित करेंगे।

18. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता से

छूट देने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, मेरा मानना है कि स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 प्रतिवादी उद्योग में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू है। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह दलील कि चूंकि उन्होंने सीसीए (सीसीएस) नियम, 1966 को अपनाया है, इसलिए स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 लागू नहीं है, खारिज किए जाने योग्य है, और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

19. इस प्रकार, याचिकाकर्ता कर्मचारी हैं, प्रतिवादी अनुसूचित उद्योग है और छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्ण तंत्र प्रदान करता है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पास श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जिसे उन्होंने पहले ही समाप्त कर लिया है और मामला लंबित है और इस प्रकार रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जांच प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करके की गई है, जबकि उत्तरवादीगण ने यह तर्क देते हुए अपना जवाब दाखिल किया है कि याचिकाकर्ताओं को जांच में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है, जो विवादित तथ्य है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई करते समय निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

21. श्रम कानून के तहत रिट याचिकाओं की स्वीकार्यता के संबंध में प्रश्न, जहां विवादित तथ्य शामिल हैं, **हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, छत्त कर्मचारी संघ (2005 6 एससीसी 725)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 8 में कहा है, जो इस प्रकार है:–

यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम यूपी राज्य सेतु निगम एस.

कर्मचारी संघ (2004 (4) एससीसी 268) में, यह माना गया कि जब विवाद कानून के तहत अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित होता है और इसलिए, कानून के तहत विशिष्ट उपाय प्रदान किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को सामान्य दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सिवाय जब बहुत मजबूत मामला विचलन करने के लिए बनाया गया हो। जो व्यक्ति इस तरह के उपाय पर जोर देता है, वह कानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमालकर शांताराम वाडके 1976 (1) एससीसी 496), राजस्थान एसआरटीसीवी कृष्ण कांत (1995 (5) एससीसी 75), चंद्रकांत तुकाराम निकम बनाम अहमदाबाद नगर निगम एवं अन्य (विजई वी. एल्ड्रेड (1998 (6) एस.सी.सी. 549)। इसलिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और इसमें विवादित तथ्य शामिल हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री की सराहना करने के बाद विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उत्तरवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क देंगे कि दंड लगाने का आदेश पूरी जांच और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के बाद पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। इस समय यह दलील विचारणीय नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने आरोप या कदाचार के गुण–दोष या याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए दंड की आनुपातिकता की जांच नहीं की है। यह श्रम न्यायालय पर निर्भर करता है, जिसने पहले ही मामले को अपने सामने रखे गए कानून और सामग्रियों के अनुसार तय कर लिया है।

23. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर यह माना जाता है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक प्रभावी उपाय के रिट याचिकाएँ विचारणीय नहीं हैं और तदनुसार, उनका निराकरण किया जाता है। मामले

के रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही श्रम न्यायालय में याचिका दायर कर दी है।

24. श्रम न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष की बाहरी सीमा के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगा।

25. परिव्यव के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

प्रमुख नोट

चूंकि, विद्युत कंपनी एक उद्योग है और सहायक ग्रेड I/II/III एक कर्मचारी है, इसलिए रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

चूंकि, विद्युत कंपनी एक उद्योग है और सहायक ग्रेड ई/आईआई/आईआईआई एक कर्मचारी है, इसलिए रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur